(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 14/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री अर्पित कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल उम्र 35 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी शिव कॉलोनी हॉस्पिटल रोड बारां जिला बारां **(मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स अर्पित किराना स्टोर मण्डी बाई पास मांगरोल रोड बारां।

2– प्रोपराईटर सुशीला देवी पत्नि स्व. उच्छव चन्द जैन निवासी प्लॉट नं0 55 स्क्रेप एण्ड टिम्बर मार्केट, सजीधेरा कोटा। मैसर्स सिद्धी ट्रेडिंग कम्पनी, सेन्टपॉल स्कूल के पिछे, टिम्बर मार्केट कोटा।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)
3– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 2)

निर्णय दिनांक 30.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.09.2018 को मैसर्स अर्पित किराना स्टोर मण्डी बाई पास मांगरोल रोड बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री अर्पित कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 18.09.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 500 ग्राम** में विक्रय हेतु रखे हुऐ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने

की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 500 ग्राम** की 04 पैकेट को खोलकर साफ सुखी तपेली में तुलवाकर 02 कि0ग्रा0 वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री अर्पित कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल (मौके पर मौजूद विक्रेता) को 120/– (अक्षरे एक सौ बीस रूपये) रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री हेमन्त व श्री रामेश्वर प्रसाद के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 02 कि0ग्रा0** को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर खाली साफ एवं सूखी शीशीयों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक शीशी को ढंक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–850 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–850 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अर्पित कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/194 दिनांक 02.11.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 553/FSSA/Kota/Act/2018/601 दिनांक 12.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स अर्पित किराना स्टोर मण्डी बाई पास मांगरोल रोड बारां से पत्रांक 202 दिनांक 14.11.2018 एंव 272 दिनांक 21.12.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स अर्पित किराना स्टोर द्वारा प्रतिउत्तर में आधार कार्ड व क्रय बिल कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स सिद्धी ट्रेडिंग कम्पनी, सेन्टपॉल स्कूल के पिछे, टिम्बर मार्केट कोटा से पत्रांक 18 दिनांक 21.01.2019 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स सिद्धी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, पेन कार्ड एवं जीएसटी कार्यालय में पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 09.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थी क्रम 2 स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक एवं अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 500 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बिल नं0 0003750 दिनांक 24.07.2018 से अप्रार्थी क्रम 2 से खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 500 ग्राम** के पैकेट क्रय किये गये है। उक्त बिल की छायाप्रति परिवाद में संलग्न है। उक्त बेसन जॉच में मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 की किसी प्रकार की कोई गलती नही है। चूंकि उक्त बेसन की पैकिंग का कार्य अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कहा गया कि खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 500 ग्राम** के पैकेट के पेकिंग का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 553/FSSA/Kota/Act/ 2018/601 दिनांक 12.10.2018 के पश्चात हमारे द्वारा उक्त त्रुटि को सही किया जा चुका है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे अथवा कम से कम जुर्माना राशि की जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 553/FSSA/Kota/Act/2018/601 दिनांक 12.10.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 500 ग्राम** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **शुद्ध बेसन(आर्शीवाद गोल्ड) 500 ग्राम पैकेट** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 2 को 10,000/– 10000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.06 10:51:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: